



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-384

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 323505 दिनांक 06/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Narendra Singh S/o Jagdish Singh	श्री गिरधारी लाल पालीवाल एवं श्रीमती सुधा पालीवाल	212	198.00 SQ. METER	JDA	PATRAKAR COLONY	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह द्वारा जविप्रा की योजना पत्रकार कॉलोनी के आवासीय भूखण्ड संख्या 212 क्षेत्रफल 198 व0मी0 का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा दिनांक 03.03.2003 को श्री गिरधारी लाल पालीवाल एवं श्रीमती सुधा पालीवाल के पक्ष में जारी किया गया था। लीजधारक द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2011 के माध्यम से श्रीमती मंजू जैन पत्नी श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								विजय कुमार जैन को बेचान किया गया है। क्रेता श्रीमती मंजू जैन द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2013 के माध्यम से श्रीमती सुनीता सोगानी पत्नी श्री कपिल कुमार सोगानी को बेचान किया गया है। क्रेता श्रीमती सुनीता सोगानी द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.08.2025 के माध्यम से श्री सुनील कुमार गर्ग पुत्र श्रीचन्द्र गर्ग को बेचान किया गया है। क्रेता श्री सुनील कुमार गर्ग द्वारा आवेदित भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.11.2025 के माध्यम से श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह को बेचान किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Narendra Singh S/o Jagdish Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।